UPRVUNL

उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
कारपोरेट वित्त इकाई
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
9वॉं तल,शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

पत्रांक:36 / उ0नि0लि0 / उप म0प्र0 (लेखा) दिनांक 27 / 02 / 2023

कार्यालय ज्ञाप

निदेशक मण्डल की 213वीं बैठक दिनांक 09.02.2023 में पारित एजेण्डा आइटम संख्या 213.4 के अनुपालन में ओबरा 'स' तापीय परियोजना एवं जवाहरपुर तापीय परियोजना के लिए मरम्मत एवं अनुरक्षण (Repair & Maintenance) मद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं आगामी वर्षों हेतु निधि निर्गमन निम्नवत् आवंटित किया जाता है:–

(रू0 करोड़ में)

परियोजना का नाम	मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय प्रति वर्ष	ओवरहालिंग व्यय हेतु (स्तम्भ 02 का 20 प्रतिशत)	अप्रत्याशित विशेष स्पेयर्स हेतु (स्तम्भ 02 का 10 प्रतिशत)	मरम्मत एवं अनुरक्षण हेतु मासिक अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (स्तम्भ 02 का 70 प्रतिशत)
01	02	03	04	05
ओबरा 'स' तापीय परियोजना	114.58 (8.68X1320 मे0वा0)	22.92 (114.58 X20%)	11.46 (114.58 X10%)	6.68 (114.58 X70% / 12 माह)
जवाहरपुर तापीय परियोजना	114.58 (8.68X1320 मे0वा0)	22.92 (114.58 X20%)	11.46 (114.58 X10%)	6.68 (114.58 X70% / 12 माह)

नोट– उक्त मरम्मत एवं अनुरक्षण (Repair & Maintenance) मद में आवंटन निम्न के शर्ताधीन प्रदान किया जाता है:–

i. परियोजना की UPERC द्वारा निर्धारित Declared Capacity से 95 प्रतिशत से कम बिलिंग होने की दशा में मरम्मत एवं अनुरक्षण की धनराशि सम्बन्धित परियोजना तिमाही आधार पर समानुपातिक रूप से समायोजित कर लिया जाएगा।

ii. उक्त मासिक आवंटन के विरुद्ध धनराशि प्रत्येक माह की 07 एवं 22 तारीख को दो समान किश्तों में अवमुक्त की जाएगी।

iii. (क) परियोजना प्रमुख द्वारा मरम्मत एवं अनुरक्षण निधि के अन्तर्गत खण्डवार आवंटन लेखा शाखा के प्रमुख की सलाह से परियोजना को आवंटित धनराशि की सीमा में करते हुए इसकी सूचना 15 दिवसों के अन्दर मुख्यालय को प्रेषित की जाएगी।

(ख) प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन परियोजना द्वारा उक्त निर्धारित सीमा के अन्तर्गत ही किये जाएं। उक्त सीमा से अधिक दायित्व सृजन होने पर गम्भीरतापूर्वक विचारित किया जाएगा।

(ग) परियोजना प्रमुख द्वारा खण्डवार पुनरीक्षण करते हुए धनराशि का पुनः आवंटन परियोजना के लेखा प्रमुख की सलाह से किया जा सकता है।

(घ) उक्त के अतिरिक्त मुख्यालय से परियोजना द्वारा इस आदेश के लागू होने के पश्चात् कोई भी अतिरिक्त निधि अलग से निर्गत नहीं की जाएंगी यथा उक्त प्रावधानित धनराशि में मरम्मत एवं अनुरक्षण (Repair and Maintenance) के समस्त व्यय (प्लांट का बीमा, विशेष परिचालन एवं अनुरक्षण के दायित्व, कार्ययोजना, कोयला संचालन खण्ड, इत्यादि) सम्मिलित है।

(ड़) परियोजना प्रमुख द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यय उक्त आवंटित बजटीय सीमा के अन्तर्गत ही किया जाएं।

iv. द्वितीय इकाई को सी0ओ0डी0 पर आने तक मरम्मत एवं अनुरक्षण हेतु निर्धारित धनराशि में समानुपातिक कटौती की जायेगी एवं Common Facilities हेतु द्वितीय इकाई के लिए निर्धारित मासिक धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि प्रथम इकाई हेतु निर्धारित धनराशि में सम्मिलित करते हुए निर्गत की जाएंगी।

v. अधिक मूल्य के स्पेयर्स की आपूर्ति अलग से प्राविधानित की जा रही है, जिसे किसी भी प्रकार की आकस्मिकता में (रु0 5.00 करोड़ से अधिक) क्रय किए जाने हेतु परियोजना से प्रस्ताव प्राप्त होने पर निदेशक समिति के अनुमोदन के आधार पर स्पेयर्स पार्ट्स के क्रय एवं कार्य के लिए प्रशासनिक अनुमोदन के उपरान्त आवश्यकतानुसार धनराशि अवमुक्त की जाएगी।

vi. परियोजना को आवंटित धनराशि कुल सीमा के अंतर्गत मरम्मत एवं अनुरक्षण निधि पर पुनर्विचार करते हुये पुनः परियोजनावार आवंटन करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक महोदय को होगा।

vii. अपवादस्वरूप यदि किसी अनुबन्धकार/आपूर्तिकर्ता को मुख्यालय से कोई भुगतान किया जाता है, तो मुख्यालय से भुगतान करते हुए उसका समायोजन/कटौती परियोजना को आवंटित मासिक मरम्मत एवं अनुरक्षण निधि से कर लिया जाएगा।

viii. परियोजनाओं द्वारा बजट के सापेक्ष वास्तविक व्यय की गयी धनराशि का विवरण (बजट एवं वास्तविक व्यय में अन्तर के कारण एवं उक्त में प्रस्तावित संशोधन पर सुझाव) मासिक उपभोग प्रमाण पत्र सहित मुख्यालय की वित्त इकाई को आगामी माह की 07 तारीख तक उपलब्ध कराया जाएगा।

इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांक:36/उ0नि0लि0/उप म0प्र0 (लेखा) तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष के निजी सचिव, उ0नि0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0नि0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (तकनीकी/वित्त/परियोजना एवं वाणिज्य/कार्मिक एवं प्रबन्धन), उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. कम्पनी सचिव, उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/II), पी0पी0एम0एम0/तापीय परिचालन/ईंधन/वाणिज्य/मानव संसाधन/जानपद/पर्यावरण एवं सुरक्षा/आर0 एण्ड एम0/जानपद नवपरियोजना, उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (प्रगति), उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त कार्यालय ज्ञाप को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/II), ओबरा/जवाहरपुर तापीय परियोजना, उ0नि0लि0, ओबरा (सोनभद्र)/जवाहरपुर (एटा) को इस निर्देश के साथ कि उक्त निर्धारित सीमा में मरम्मत एवं अनुरक्षण (Repair & Maintenance) व्यय नियंत्रित रखें।
8. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. उप महाप्रबन्धक (लेखा)/उप मुख्य लेखाधिकारी, लेखा प्रशासन/लेखा/सम्प्रेक्षा, उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. उप महाप्रबन्धक (लेखा)/उप मुख्य लेखाधिकारी, ओबरा/जवाहरपुर तापीय परियोजना, उ0नि0लि0, ओबरा (सोनभद्र)/जवाहरपुर (एटा)।
11. मुख्य प्रबन्धक, कैश प्रबन्धन इकाई, उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

Awasthi

(उमेश अवस्थी)
उप महाप्रबन्धक (लेखा)

128\D:\finance\letter fin.docx